सं. 4/38/2008- पी एंड पीडब्ल्यू (डी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 4 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ऐसे सरकारी सेवको के संबंध में पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत अंश की बहाली, जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त किया था– बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन देने के प्रयोजन से दिनांक 01.01.2006 से नोशनल पेंशन को बढ़ाया जाना।

इस विभाग के दिनांक 15.09.2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा जारी और दिनांक 11.07.2013 के का. ज्ञा. सं. 4/30/2010- पी एंड पीडब्ल्यू (डी) द्वारा यथासंशोधित ऐसे आमेलित व्यक्तियों की एक-तिहाई पेंशन की बहाली के आदेश जारी किए गए थे, जिन्होंने आमेलन के समय एकमुश्त राशि प्राप्त की थी। इन ज्ञापनों के अनुसार, इन आमेलित व्यक्तियों की पूर्ण पेंशन को इस विभाग के दिनांक 01.09.2008 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) में निहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से नोशनल रूप से संशोधित किया गया था। बुजुर्ग पेंशनभोगियों की मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन को पूर्ण नोशनल पेंशन के आधार पर विनियमित किया जाता है।

2. इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) द्वारा वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन को दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे। तदनुसार, आमेलित पेंशनभोगियो की पूर्ण नोशनल पेंशन को भी इस विभाग के दिनांक 03.04.2013 के समसख्यक का. ज्ञा. द्वारा दिनांक 28.01.2013 के उपर्युक्त का. ज्ञा. में निहित निर्देशो के अनुसार दिनांक 24.09.2012 से बढ़ाया गया था।

3. इस विभाग के दिनांक 28.01.2013 के का.ज्ञा. के अनुसरण में इस विभाग के दिनांक 30.07.2015 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) द्वारा 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में दिनांक 24.09.2012 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से संशोधन करने के निर्देश जारी किए गए थे। तदनुसार इस विभाग के दिनांक 17.02.2016 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन देने के प्रयोजन से आमेलित पेंशनभोगियों की पूर्ण नोशनल पेंशन में भी दिनांक 30.07.2015 के उपर्युकत का. ज्ञा. में निहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 24.09.2012 के बजाय दिनांक 01.01.2006 से संशोधन किया गया था।

4. अब इस विभाग के दिनांक 06.04.2016 के का. ज्ञा. सं. 38/37/08- पी एंड पीडब्ल्यू (ए) द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की कुल पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति के समय उनकी अर्ह सेवा 33 वर्ष से कम ही क्यों न हो, कोई यथानुपातिक कमी किए बिना, फिटमेन्ट टेबल के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप न्यूनतम वेतन ओर ग्रेड पे (जहां लागू हो) के योग के 50% से कम नहीं होगी। तदनुसार आमेलित पेंशनभोगियो की पूर्ण नोशनल पेंशन भी दिनांक 06.04.2016 के उपर्युकत का. ज्ञा. में निहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से संशोधित की जाएगी और बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत और अतिरिक्त पेंशन भी इस पूर्ण नोशनल पेंशन पर देय होगी। हालांकि, दिनांक 11.07.2013 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 15.09.2008 के का.ज्ञा. के अनुसार निर्धारित बहाल की गई एक-तिहाई वास्तविक पेंशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 4.07.2016 की आई डी सं. 1(5)/ईV/2012 के तहत जारी किया जाता है।

ह. सिंह

(हरजीत सिंह)
निदेशक
24624752

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(डाकसूची के अनुसार)